

1

संख्या-3771/10-7-16/10/1997

प्रेषक,

श्री अमोल गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2, मद्रास केन्द्र,
प्रति विश्व नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संज्ञक: दिनांक: 12 दिसम्बर, 1997

विषय:- दीवान पब्लिक स्कूल हायडु गाजियाबाद को सीबीएसई नई दिल्ली
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिव्य जाना ।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे पत्र कटने का निदेश हुआ है कि दीवान पब्लिक
स्कूल हायडु गाजियाबाद को सीबीएसई नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति
प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन
अपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तोतापत्ती का समय समय पर स्विकीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रधान समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्वैस्टिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था शैक्षिक एवं शि्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य सुविधाओं से वंचित करने तथा अन्य सुविधाओं नहीं दिये जायेंगे ।

oldinary/affn.

20/12/97

DPS/HPR/351/Regulation/97

16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूच्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रूपन/पंजीकाओं में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि -

1। विद्यालय का भूमि/भवन संस्था के निजी स्वामित्व में है ।

2। ईपीओएफ योजना यथासमय लागू करके शासन को अवगत कराया जायेगा

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार पुनर्रत अनापरित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

अशोक सांगुनी
संयुक्त सचिव ।

पुस्तक 3771 111/15-7-1997 तददिनांक
=====

प्रतिबन्ध निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- कर्माचार्य संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबन्धक, दीवान पब्लिक स्कूल हापुड़, गाजियाबाद ।

आता से,

(Signature)

अशोक सांगुनी
संयुक्त सचिव ।

h